न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 84/2014

सायल :- बनाम गैरसायल :-

1. जैतारण केमीकल्स प्रा0 लि0 हुनावास खुर्द (कम्पनी एक्ट 1956) जरिए डायरेक्टर दामोदर उपाध्याय पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण (उपाध्याय) निवासी निमाज हाल-जैतारण जिला पाली(राज.)

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज.

राजस्व प्रार्थना पत्र वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती करवाने बाबत् अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 तारीख रजू:.22.05.2014

उपस्थित :- 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, सायल।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 21/05/2015

वकील गय सायल ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-हुनावास खुर्द, पटवार हल्का-गरनिया तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में सायल की कम्पनी जैतारण केमीकल्स प्रा0लि0 हुनावास खुर्द जो कम्पनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्ट्रार कम्पनीज जयपुर के यहाँ एक पंजीबद्ध प्रा0लि0 कम्पनी है व सायल उसका एक मात्र मैनेजिंग डायरेक्टर व निदेशक है तथा कम्पनी के रजिस्ट्रेशन के तहत सायल बतौर निदेशक नियुक्ति की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। जैतारण केमिकल्स प्रा0लि0 हुनावास खुर्द के पूर्व में डायरेक्टर राजेन्द्रसिंह पुत्र विशन सिंह जाति राजपूत निवासी जैतारण एवं जतनकंवर पत्नी विशनसिंह जाति राजपुत निवासी-रावतसर जिला हनुमानगढ (राज) थे। तत्पश्चात सायल दामोदरलाल उपाध्याय व रामजीवन कम्पनी के डायरेक्टर हुए, तथा राजेन्द्र सिंह और जतनकँवर कम्पनी के डायरेक्टर के पद से हट गये व रामजीवन भी कम्पनी के डायरेक्टर के पद से हट गये अब कम्पनी का एक मात्र डायरेक्टर में दामोदर उपाध्याय ही हूँ। इस बाबत हुई कार्यवाही व प्रमाण पत्र दिनांक 15/02/07 दिनांक 7/10/08 व दिनांक 23/04/09 की कम्पनी रजिस्ट्रार के निदेशक हटने व नये निदेशक नियुक्त किये जाने के आदेशो की प्रमाणित प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये है । जैतारण केमिकल्स प्रा0 लि0 हुनावास खुर्द का एक हाईड्रेड लाइम प्लांट व उद्योग सरहद मौजा हुनावास खुर्द में वाके आराजी खसरा नंबर 4/97 रकवा 6-04 बीघा किस्म गै.मु. औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन व कार्यरत है, जिसकी जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2058-2061 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। खसरा नम्बर 4/97 रकबा 6-04 बीघा चूना उद्योग के लिए औद्योगिक क्षेत्र में एस. डी.ओ. जैतारण के आदेश दिनांक 18.06.19965 से औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तित कर दर्ज किया गया है, जिसका म्यूटेशन सं. 107 दिनांक 27.06.96 के तहत राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया, उक्त म्यूटेशन सं. 107 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है उक्त म्यूटेशन की पृष्ठ में मौके पर खसरा नम्बर 4/97 का मौका स्थिति का अंकन नक्शे में दर्शाया गया। इसके अनुसार खसरा नम्बर 4/97 राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया, जिसकी जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2058 से 2061 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं। बाद औद्योगिक क्षैत्र में परिवर्तन के खसरा नम्बर 4/97 रकबा 6-04 बीघा भूमि जैतारण केमीकल्स प्रा0लि0 हुनावास खुर्द के नाम जरिए बेचान रजिस्ट्री दिनांक 10/05/1996 कम्पनी के नाम म्यूटेशन संख्या 108 के तहत् दर्ज की गई। उक्त म्यूटेशन संख्या 108 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं। जैतारण केमीकल्स प्रा0लि0 हुनावास खुर्द द्वारा खसरा नम्बर 4/97 रकबा 6-04 बीघा वाके सरहद मौजा-हुनावास खुर्द तहसील-जैतारण द्वारा औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि रुपान्तरण के पश्चात् उक्त भूमि आर0एफ0सी0 को रहन रखकर इस पर लाईम प्लान्ट के लिए कम्पनी का वर्ष

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

1997 में लगाये गये प्लान्ट पर जो वर्तमान में कार्यरत हैं। इस हेतु आर0एफ0सी0 से लॉन लेकर फैक्टरी चालु की गई व आर0एफ0सी0 के ऋण का म्यूटेशन संख्या 11 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं। पटवारी हल्का-गरनिया में दिनांक 01/02/2009 को अवैध व गैरकानूनी रूप से बिना किसी आधार व अधिकार के व बिना कम्पनी को नोटिस दिये कम्पनी के प्लान्ट की औद्योगिक भूमि खसरा नम्बर 4/97 को बदलकर उसकी जगह खसरा नम्बर 104/4 रकबा 6-04 बीघा का एक शुद्धि-पत्र भरकर दिनांक 02/02/2009 को तहसीलदार, जैतारण द्वारा स्वीकृत किया जाकर कम्पनी के नाम दर्ज खसरा नम्बर 4/97 के स्थान पर खसरा नम्बर 104/4 का गलत इन्द्राज कर दिया गया। जिसकी जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2066-2069 की प्रमाणित प्रति एवं शुद्धि-पत्र दिनांक 02/02/2009 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं। जमाबन्दी खतौनी में भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् केवल लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर जिसके अधिकार उपखण्ड अधिकारी, जैतारण को ही हैं। उनके सिवाय कोई रेकर्ड में शुद्धि-पत्र के जरिए रेकर्ड परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता, न ही बिना पक्षकार को सुनवाई का मौका दिये रेकर्ड चैंज किया जा सकता हैं। इसलिए शुद्धि-पत्र दिनांक 02/02/2009 गलत, अवैध व गैरकानूनी हैं। जिसे रद्द किया जाकर पूर्ववर्ती रेकर्ड की स्थिति को बहाल किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं तथा इसी अनुसार रेकर्ड दुरुस्त किया जाना आवश्यक हैं। उक्त खसरा नम्बर 4/97 रकबा 6-04 बीघा भूमि जो जैतारण केमीकल्स प्रा0लि0 हुनावास खुर्द के नाम दर्ज हैं। जमाबन्दी खतौनी में निवर्तमान डायरेक्टर राजेन्द्रसिंह पुत्र विशनसिंह जाति-राजपूत निवासी-जैतारण एवं जतनकंवर पत्नि विशनसिंह जाति-राजपूत निवासी-रावतसर जिला-हनुमानगढ़ (राजस्थान) कम्पनी के डायरेक्टर के पद से हट चुके हैं, के नाम जमाबन्दी खतौनी व राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर सायल दामोदरलाल उपाध्याय वर्तमान डायरेक्टर का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी खतौनी में दर्ज किया जाना आवश्यक हैं। इस प्रकार प्रा.पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर हल्का पटवारी गरनिया द्वारा अवैध व गैरकानूनी रूप से ख. नं. 4/97 का किया गया शुद्धि पत्र को निरस्त/रद्ध किये जाने तथा जैतारण केमिकल्स प्रा.लि. हूनावास खुर्द के निवर्तमान डायरेक्टर राजेन्द्रसिंह व जतन कंवर के स्थान पर वर्तमान डायरेक्टर दामोदर लाल उपाध्याय का नाम उक्त प्रा.पत्र स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी खतौनी में इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गै.सा. को जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा.पत्र तलब किया गया। गै0सा0 स्वयं तहसीलदार जैतारण एवं सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार जैतारण आज राजस्व लोक अदालत में उपस्थित आए जो जवाब प्रा.पत्र पेश नहीं करना चाहते हैं। जबाब बन्द किया गया।

आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र गरनिया में दामोदर लाल पुत्र मोहनलाल उपाध्याय ब्राहम्ण सा0 जैतारण डायरेक्टर श्री मोहन मिनरल प्रा0लि0 हूनावास खुर्द ने एक प्रार्थना पत्र वास्ते राजस्व रेकर्ड में मौजूदा दस्तावेजात के आधार पर संशोधन करने बाबत् पेश किया है। मौजा हुनावास खुर्द में सायल की एक फर्म जैतारण केमिकल्स प्रा0लि0 हूनावास खुर्द के जरिए डायरेक्टर राजेन्द्रसिंह पुत्र विशनसिंह एवं जतनकंवर पत्नि विशनसिंह के नाम पूर्व में दर्ज थी। तत्पश्चात कम्पनी अधिनियम के तहत् उक्त फर्म के उक्त डायरेक्टर के स्थान पर दामोदर लाल पुत्र मोहनलाल उपाध्याय ब्राहम्ण नि0 जैतारण को डायरेक्टर नियुक्त किया गया। फर्म जैतारण केमिकल्स प्रा.लि. हूनावास खुर्द का नाम परिवर्तित कर मोहन मिनरल प्रा.लि. हुनावास खुर्द जरिए डायरेक्टर दामोदरलाल रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। सरहद मौजा हुनावास खुर्द में सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 4/97 रकबा 6=04 बीघा का बिना सक्षम न्यायालय आदेश ख.नं. 104/4 का इन्द्राज कर दिया जो रोंग एण्ट्री की हैं जिसे पुनः गलत ख.नं. 104/4 के स्थान पर पूर्ववर्ती ख.नं. 4/97 का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में दुरुस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। प्रस्तुत प्रा.पत्र मय संलग्न दस्तावेजात सामिल मिसल किये गये। प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों के मूल प्रा0पत्र पर राजस्व लोक अदालत गरनिया में ही पटवारी हल्का गरनिया से जांच रिपोर्ट तलब की गई। पटवारी हल्का गरनिया की जांच रिपोर्टानुसार / जमाबन्दी ग्राम हुनावास खुर्द अनुसार खाता सं. 24 में ख.नं. 4/97 रकबा 16=04 बीघा भूमि दामोदर लाल पुत्र मोहनलाल कौम ब्राहम्ण सा0 जैतारण

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

खातेदार के नाम दर्ज हे। ख.नं. 104/4 रकबा 6=04 बीघा गै0मु0 औद्योगिक क्षैत्र भूमि जैतारण केमिकल्स प्रा0लि0 हुनावास खुर्द डायरेक्टर राजेन्द्र सिंह पुत्र किशनरिंह राजपूत नि0 जैतारण जतन कंवर पत्नि विशनसिंह कौम राजपुत सा0 रावतसर जिला हनुमानगढ के नाम दर्ज हैं। ख.नं. 104/4 रकबा 6=04 बीघा का पूर्व में ख.नं. 4/97 भी दर्ज था। परन्तु कम्प्युटर सॉफ्टवेयर में मीन नम्बर दर्ज नहीं होने से गांव के अन्तिम ख.नं. के माफिक जरिए शुद्धि पत्र 104/4 दर्ज किया गया। अतः ख.नं. 104/4 पूर्ववर्ती ख.नं. 4/97 का ही शुद्ध रूप में लेखन हैं। जांच रिपोर्ट पटवारी गरनिया सामिल पत्रावली की गई।

बहस अधिवक्ता सायल सुनी गई तथा तहसीलदार जैतारण एवं पक्षकार को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0पत्र मय शपथ पत्र प्रा0पत्र दिनांक 21.05.2015 मय रिपोर्ट पटवारी गरनिया तथा दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता सायल तथा तहसीलदार जैतारण पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः चूँकि विवादित आराजी की वर्तमान ख.नं. 104/4 पूर्ववर्ती ख.नं. 4/97 का ही शुद्ध रूप में लेखन होने से दर्ज हुआ हैं। जिसे धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के उक्त प्रा0पत्र की ईशतदुआ पर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं मुमकिन नहीं हैं। लिहाजा चूँकि जैतारण केमिकल्स प्रा0लि0 डायरेक्टर राजेन्द्रसिंह व जतन कवंर द्वारा फर्म मोहन मिनरल प्रा0लि0 डायरेक्टर दामोदर लाल उपाध्याय के नाम से प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार परिवर्तित हो जाने से वकील मय सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र 136 आर एक्ट 1956 का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

–::आदेश::–

अतः सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0भू0 राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैं। सरहद मौजा–हुनावास खुर्द पटवार हल्का–गरनिया तहसील जैतारण की ख.नं. 104/4 रकबा 6=04 बीघा किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड सर्च रिपोर्ट मय एनेक्जर ''ए'' पृष्ठ सं. 2 से 7 तथा रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, जयपुर द्वारा प्रदत सर्टिफिकेट ऑफ इन्कोरपोरेशन परस्यूएन्ट टू चेंज ऑफ नेम अनुसार श्री जैतारण केमिकल प्रा0लि0 डायरेक्टर राजेन्द्र सिंह शेखावत तथा जतन कवंर के स्थान पर श्री मोहन मिनरल प्रा0लि0 डायरेक्टर दामोदर लाल पुत्र मोहनलाल उपाध्याय, रामनारायण पुत्र राधाकिशन उपाध्याय व्यास कुंज न्यू कॉलोनी जोधपुर रोड निमाज तथा अनुराधा पुत्री जयन्तीलाल 86 ब्राहम्णों का बास वार्ड नं. 6 जैतारण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने के तहसीलदार जैतारण को आदेश दिये जाते हैं। चूँकि ख.नं. 104/4 पूर्ववर्ती ख.नं. 4/97 का ही शुद्ध रूप में लेखन हैं। ख.नं. 104/4 की पूर्ववर्ती ख.नं. 4/97 दर्ज दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 21.05.2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner